85

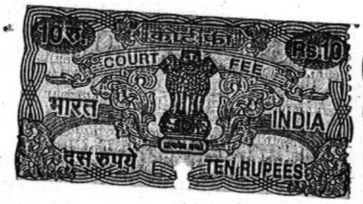

न्यायालय श्रीमान राजस्वमण्डल ग्वालियर म०प्र०

रा/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2017/3977

पुनरीक्षण क्र./

1. बृजलाल पाल (गड़रिया) तनय तातू पाल

2. हरिराम पाल तनय तातू पाल दोनो निवासी ग्राम भैसवारी तह.व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..पुनरीक्षणकर्ता

श्री एम.पी. भटनागर अधि.
23-10-17

23/10/17
पेशी दि० 6-11-17

बनाम

1. दिलीप राजा तनय रामसिंह ठाकुर

2. जन्मेन्द्र सिंह तनय राम सिंह ठाकुर दोनो नि०भैसवारी तह.व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक बड़ागावं धसान तह.टीकमगढ़ के प्र०क्र028/अ 12/16-17 मे पारित आदेश दिनांक 10/11/2016 केविरुद्ध अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा०सं० 1959

- - - - - - - - - - - - - - - -

Filed by
MPBhatnagar Adv
23/10/17

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यह कि तहसील टीकमगढ़ अंतर्गत मौजा भैसवारी का ख.न.336तीन भागो मे बटांकन है जिसमे बड़ागावं धसान से ककरवाहा को शासकीय डामररोड सड़क निकली है जो ख.न.336/2 है। तथा इस खसरा नंबर के पूर्व दिशा मे ख.न. 336/3 अंकित है तथा ख.न.336/2 की पश्चिम दिशा मे ख.न.336/1 स्थित है जो अनावेदकगणो का है ।

2. यह कि अनावेदकगणो ने अपना सीमांकन आवेदन राजस्व निरीक्षक मंडल बड़ागावं धसान को दिया था जिसका सीमांकन गठित दल के द्वारा दिनांक 26/10/2013 को किया गया और इस गठित दल के द्वारा शासकीय डामर रोड 336/2 की पश्चिम दिशा मे अनावेदक का ख.नबर था । उसे सीमांकन मे पूर्व दिशा मे 336/1 को नाप दिया गया जिस पर आवेदक पुनरीक्षणकर्ता लम्बे समय से कब्जा किए चला आ रहा है उक्त सीमांकन मे आवेदक की भूमि ख.न.338/1 को भी गठित दल के द्वारा नाप कर दी गइ है। और ऐसी नाप पूर्णरूपेण गलत थी क्योंकि मुस्तकली बन्दो बस्ती सीमा चिन्ह से नाप गठित दल के द्वारा नही की गइ आवेदक / पुनरीक्षण कर्ता के द्वारा अपनी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक एक–निग/टीकमगढ़/भू.रा./2017/3977

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
12.01.2018	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त बड़ागॉव धसान तहसील टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 28 अ–12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 10–11–16 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकों ने राजस्व निरीक्षक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर शासकीय अभिलेख में उसके नाम अंकित भूमि सर्वे कमांक 336/1 है. के सीमांकन की मांग की। राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक 28 अ–12/16–17 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की सूचना जारी की है। हलका पटवारी भैसवारी एंव हलका पटवारी ककरवहा ने संयुक्त रूप से दिनांक 26–10–16 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया तथा सीमांकन प्रतिवेदन बनाया, जिस पर आवेदकों ने आपत्ति प्रस्तुत की। राजस्व निरीक्षक ने आवेदकों को आपत्ति आवेदन पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया है तदुपरांत 28 अ–12/16–17 में आदेश दिनांक 10–11–16 पारित किया है तथा आपत्ति अमान्य करते हुये सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। आवेदकों के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि अनावेदकों की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदकों की भूमि प्रभावित हुई है , किन्तु यह भी निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदकों के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन कराने की वह अधिकारी है। अनावेदकों की भूमि के सीमांकन से आवेदकगण स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानते हैं, तब	

वह आर.आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षकअधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदकों की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 10–11–16 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य